

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ०प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग—९

लखनऊ दिनांक १८ सितम्बर, २०१५

विषय: नागर स्थानीय निकायों हेतु वर्ष २०१५-१६ के लिये कर-करेत्तर राजस्व वसूली के लक्ष्य का निर्धारण के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—सांख्यिकी सेल(च)/५००/कर-करेत्तर दिनांक ३१.०७.१५ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागर स्थानीय निकायों हेतु वित्तीय वर्ष २०१५-१६ के लिये कर-करेत्तर राजस्व वसूली के लक्ष्य के निर्धारण के सम्बंध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:—


(१) प्रदेश की जिन नागर निकायों द्वारा विगत वर्षों में वसूली के लक्ष्य को पूर्ण कर लिया गया है तथा जहाँ राजस्व वसूली की अधिक सम्भावना है, उनके वर्तमान लक्ष्य को गत वर्ष के वास्तविक रूप से की गयी वसूली के सापेक्ष १५ प्रतिशत वृद्धि की जाए।

(२) प्रदेश की जिन नागर निकायों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूर्ण करने में कठिनाई हो रही है, उनकी मांग के दृष्टिगत ऐसी निकायों के वर्तमान लक्ष्य को गत वर्ष के वास्तविक रूप से की गयी वसूली के सापेक्ष १० प्रतिशत वृद्धि इस शर्त के साथ की जाती है कि ऐसी निकायों द्वारा वित्तीय संसाधनों में वृद्धि सुनिश्चित कराने हेतु सार्थक प्रयास किये जाए।

२. कर-करेत्तर राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु निकायों द्वारा वित्तीय संसाधनों में वृद्धि के सकारात्मक प्रयास सुनिश्चित कराये जाए। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वित्तीय संसाधनों में वृद्धि हेतु सार्थक प्रयास न करने तथा कम राजस्व वसूली करने वाली निकायों के अधिकारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही का औचित्यपूर्ण ब्रताव शासन को उपलब्ध कराया जाये। कर-करेत्तर राजस्व वसूली की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट निकाय द्वारा तैयार कर निदेशक, स्थानीय निकाय को उपलब्ध करायी जायेगी तथा निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा समस्त निकायों के कर-करेत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए समेकित छमाही प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कर-करेत्तर राजस्व वूसली की प्रगति रिपोर्ट समय समय पर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,



१७१९/२१८
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समर्स्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समर्स्त नगर आयुक्त, नगर निगम उत्तर प्रदेश।
3. समर्स्त महाप्रबन्धक, जलकल विभाग ७०प्र०।
4. समर्स्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत ७०प्र०।
(द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय।)
5. नगर विकास विभाग के समर्स्त अनुभाग।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।